

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
मदरसा प्रबंध समिति मदरस्तुल बनात अजीजुल उलूम मदरसा
बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

2022 के दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 165

में

2022 की लेटर्स पेटेंट अपील सं. 216

28 नवंबर, 2022

(माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार और माननीय न्यायमूर्ति श्री नवनीत कुमार पांडे)

विचार के लिए मुद्दा

1. दीवानी रिट क्षेत्राधिकार केस संख्या 165/2022 में पारित निर्णय सही है या नहीं?

हेडनोट्स

बिहार राज्य मदरसा बोर्ड नियम, 1981—धारा 7 और 28—संबद्धता वापसी— मदरसा की संबद्धता बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा मदरसतुल बनात अजीजुल उलूम को वापस ले लिया गया - अपीलकर्ता ने धारा 28 के तहत वैधानिक अपीलीय उपाय का लाभ उठाए बिना आदेश को चुनौती दी - विद्वान एकल न्यायाधीश ने वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता के आधार पर रिट याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर दिया गया था - अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि संबद्धता वापस लेना केवल बोर्ड द्वारा किया जा सकता है, न कि अध्यक्ष द्वारा एकतरफा - रिकॉर्ड पर कोई सामग्री यह दिखाने के लिए नहीं है कि अध्यक्ष के निर्णय को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था जैसा कि 1981 के नियमों के नियम 7 (4) के तहत आवश्यक है।

निर्णय : अध्यक्ष बोर्ड का पर्याय नहीं है - संबद्धता वापस लेने की शक्ति बोर्ड में निहित है, न कि अध्यक्ष द्वारा व्यक्तिगत रूप से कार्य करने की - बोर्ड द्वारा अनुसमर्थन का अभाव वापसी के आदेश को गैर-कानूनी बनाता है - धारा 28 के तहत अपीलीय उपाय की उपलब्धता क्षेत्राधिकार के दोष को ठीक नहीं करती है - नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए - विद्वान एकल न्यायाधीश के विवादित आदेश को रद्द कर दिया गया - बोर्ड को अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के बाद नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया गया - अपील स्वीकार की गई।

(पैरा 3 से 5)

न्याय दृष्टान्त

कुछ भी नहीं

अधिनियमों की सूची

बिहार राज्य मदरसा बोर्ड नियम, 1981

मुख्य शब्दों की सूची

मदरसा , अध्यक्ष, बोर्ड द्वारा अनुसमर्थन, अपीलीय उपचार की उपलब्धता, संबद्धता।

प्रकरण से उत्पन्न

मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा बोर्ड के अनुमोदन के बिना किसी मदरसे की संबद्धता वापस लेना ।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता के लिए : श्री हेलाल अहमद, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए : श्री अजय के.आर. रस्तोगी (ए.ए.जी 10)

मदरसा बोर्ड के लिए : श्री असलम अंसारी, अधिवक्ता

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: आभाष चंद्र

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2022 के दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 165
में

2022 की लेटर्स पेटेंट अपील सं. 216

=====

मदरसा मदरस्तुल बनात अजीजुल उलूम मदरसा संख्या 609/467 के प्रबंध समिति, जामवारा, पोस्ट ऑफिस- पथरैता, थाना- शेखपुरा, जिला- शेखपुरा इसके सचिव सैयद सादिक हुसैन, उम्र 69 वर्ष, पिता - स्वर्गीय एस. आशिक हुसैन, निवासी ग्राम- जामबरा, पोस्ट पथरैता, थाना शेखपुरा, जिला शेखपुरा। वर्तमान में निवासी: मैजिस्ट्रेट कॉलोनी, रोड नं. 2 बी, पी. ओ. आशियाना नगर, थाना राजीव नगर, जिला पटना के माध्यम से।

... ..अपीलकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, बिहार, पटना के माध्यम से।
2. बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, बिहार, पटना ,अध्यक्ष के माध्यम से, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना अपेक्स टावर, हारून नगर, सेक्टर-2, फुलवारी शरीफ, पटना-801505।
3. अध्यक्ष, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना अपेक्स टावर, हारून नगर, सेक्टर-2, फुलवारी शरीफ,पटना-801505।
4. सचिव, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना अपेक्स टावर, हारून नगर, सेक्टर-2, फुलवारी शरीफ, पटना-801505।
5. जिला शिक्षा पदाधिकारी, शेखपुरा।

.. उत्तरदाता/ओं

=====

उपस्थिति :

अपीलकर्ता/ओं के लिए : श्री हेलाल अहमद, अधिवक्ता
उत्तरदाताओं के लिए : श्री अजय के.आर. रस्तोगी (ए.ए.जी 10)
मदरसा बोर्ड के लिए : श्री असलम अंसारी, अधिवक्ता

=====

गणपूर्ति : माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री नवनीत कुमार पांडे

मौखिक निर्णय

(प्रति : माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार)

दिनांक : 28-11-2022

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने इस अपील को करने में चार दिन की देरी को माफ करने की मांग करते हुए 2022 का आई. ए. सं. 1 पर जोर दिया है।

इस आवेदन में बताए गए कारणों के लिए, देरी को माफ कर दिया जाता है।

आवेदन की अनुमति है।

मदरसा (मदरसातुल बनात अज़ीज़ुल उलूम) के अपीलार्थी/प्रबंध समिति के लिए विद्वान अधिवक्ता श्री हेला ल अहमद और बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के लिए श्री मो. असलम अंसारी को सुना गया।

विचाराधीन मदरसा को दी गई संबद्धता बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा निरस्त की गई थी न कि बोर्ड द्वारा।

विद्वान एकल न्यायाधीश ने चुनौती की सुनवाई करते हुए पाया कि बोर्ड या अध्यक्ष द्वारा कोई भी निर्णय साठ दिनों की अवधि के भीतर विशेष सचिव सह अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील योग्य है। चूंकि यह वैधानिक प्रावधान समाप्त नहीं हुआ था, इसलिए चुनौती कायम नहीं रही।

इसके अलावा, यह तर्क दिया गया है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपने निर्णय को एक सहायक मुद्दे पर आधारित किया था कि निर्णय लेने से पहले प्रबंधन समिति के सचिव को सुनवाई का अवसर दिया गया था और इसलिए, अध्यक्ष के निष्कर्षों को देखते हुए कि पिछले दो वर्षों से मदरसे में कोई शिक्षण कार्य नहीं चल रहा था, जब संबद्धता वापस ले ली गई तो अपीलार्थी के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं था।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री हेला ल अहमद ने तर्क दिया है कि संबद्धता वापस लेने की शक्ति बोर्ड के पास है जैसा कि बिहार राज्य मदरसा बोर्ड नियम, 1981 की धारा 7 से दिखाई देगा।

बोर्ड का अध्यक्ष बोर्ड का पर्याय नहीं है और अध्यक्ष के रूप में उनकी व्यक्तिगत क्षमता में लिया गया कोई भी निर्णय कानून की नजर में गैर-कानूनी होगा। इस कारण से, अपीलार्थी के

लिए नियमों की धारा 28 में निहित प्रावधान की परवाह किए बिना विशेष सचिव सह अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, जो बोर्ड या बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील का एक मंच प्रदान करता है। ऐसा कहने का कारण यह है कि कुछ शक्तियां हैं जिनका प्रयोग बोर्ड के अध्यक्ष को अपनी व्यक्तिगत क्षमता में और असाधारण परिस्थितियों में कर सकते हैं, लेकिन ऐसे निर्णयों को बोर्ड द्वारा अपनी अगली बैठक में अनुमोदित किया जाना है।

नियमों में कहीं भी इस बात की छूट नहीं है कि संबद्धता वापस लेने या संबद्धता प्रदान करने जैसे निर्णय केवल बोर्ड द्वारा ही लिए जाने चाहिए, अध्यक्ष द्वारा नहीं।

इसके अलावा, यह तर्क दिया गया है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस मुद्दे पर खुद को विज्ञापित नहीं किया कि एक बार बोर्ड द्वारा मदरसे को संबद्धता प्रदान की गई थी, तो इसे केवल बोर्ड द्वारा वापस लिया जा सकता था, न कि अध्यक्ष द्वारा।

इस बात का संकेत देने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि अध्यक्ष के इस तरह के निर्णय को बोर्ड द्वारा 1981 के नियमों की धारा 7 (4) के अनुसार अनुमोदित किया गया था।

यह स्वयंसिद्ध है कि जब नियमों में कोई प्रक्रिया प्रदान की गई है, तो उसका पालन किया जाना चाहिए।

अपीलार्थी की ओर से दी गई उपरोक्त दलीलों पर विचार करते हुए, हम विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हैं और मदरसा बोर्ड को नए सिरे से एक उचित निर्णय लेने का निर्देश देते हैं, जिसके लिए अपीलार्थी को इस आदेश की प्रति की प्राप्ति/पेश करने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर नोटिस दिया जाएगा और सभी संबंधित पक्षों को सुनने के बाद, बोर्ड द्वारा विचाराधीन मदरसे के बारे में निर्णय साठ दिनों की आगे की अवधि के भीतर लिया जाएगा।

अपील को ऊपर इंगित सीमा तक अनुमति दी जाती है।

(आशुतोष कुमार, न्यायमूर्ति)

(नवनीत कुमार पांडे, न्यायमूर्ति)

ऋषि/-

खंडन (डिस्क्लेमर) - स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।